



2026:AHC:125935

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18821/2026

गोलू राजभर

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षीगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से दायर अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख में लिया गया।
2. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वेश्वर मणि त्रिपाठी तथा राज्य की ओर से श्री एस.डी. शुक्ला, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को अपराध संख्या- 05/2026, धाराएँ 103(1), 238(क), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना मदनपुर, जिला देवरिया, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को इस मामले में गलत रूप से अभियुक्त बनाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध अभियोजन का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई थी और अन्वेषण के दौरान, प्राथमिकी दर्ज करने के 6 दिन बाद, आवेदक और दो अन्य सह-अभियुक्तों, अर्थात् रामेश्वर और सोनू को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने पुलिस के समक्ष कथित रूप से

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



स्वीकार किया कि उन्होंने उक्त अपराध किया है। मृतक का मोबाइल फोन सह-अभियुक्त सोनू के कब्जे से बरामद किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 23.01.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत प्रदान की जाती है तो वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और निवेदन किया कि अन्वेषण के दौरान आवेदक तथा अन्य सह-अभियुक्तों का नाम सामने आया है और उन्होंने पुलिस के समक्ष कथित रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने अपराध किया है।

6. वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय से दर्ज कराई गई है कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव कृषि क्षेत्र में पड़ा हुआ था तथा पहचान किए जाने पर उक्त व्यक्ति की पहचान मृतक प्रमोद यादव के रूप में हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक के सह-अभियुक्त रामेश्वर की पत्नी के साथ अवैध संबंध थे तथा यह आरोप है कि आवेदक सह-अभियुक्त रामेश्वर के साथ था। यह भी कहा गया है कि उसने पुलिस के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया है तथा मृतक का मोबाइल फोन सह-अभियुक्त सोनू के कब्जे से बरामद हुआ है। आवेदक के विरुद्ध कोई स्वतंत्र अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह दिनांक 23.01.2026 से निरुद्ध होकर कारागार में निरंतर बंद है।

7. वाद के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभियोग की प्रकृति, उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियुक्त की कथित संलिप्तता पर विचार करने के उपरांत, साथ ही विचारणाधीन कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, वर्ष 2025 ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038, तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, वर्ष 2024 ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिपादित विधिक सिद्धांतों

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एवं दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, तथा वाद के गुण-दोष के संबंध में कोई अभिमत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

8. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

9. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक गोलू राजभर को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन समान धनराशि के दो सक्षम जमानतदारों एवं एक व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी अथवा आश्वासन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए तथा वह साक्ष्यों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/अन्वेषण में पूर्ण सहयोग करेगा।

(iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित मुचलके की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।

11. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा उसके जमानतदारों की पहचान, हैसियत एवं निवास संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। साथ ही, आवेदक तथा जमानतदारों के मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड का भी सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विचारण न्यायालय, जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से रिहाई आदेश संबंधित कारागार को प्रेषित करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित कारागार अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल के जरिए 24 घंटे के भीतर आवेदक को प्रेषित करना सुनिश्चित करे, ताकि जमानत प्रदान किए जाने संबंधी नीति रणनीति, स्वप्रेरणा से संज्ञानित रिट याचिका (आपराधिक) संख्या-4 सन् 2021 वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित निर्णय, जो (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रकाशित है, का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

दिनांक: 5 जून, 2026

आर.के.एम.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।